उम्मी पैग़म्बर

मौलाना सै० मुहम्मद शाकिर नक़वी साहब क़िबला अमरोहवी

इस्लाम का सबसे बड़ा दुर्भागय यह है कि कुछ सवालों में दूसरों की आपत्ति और ऐतराज को कुछ अपने ही लोग हवा देने लगते हैं। चुनाँचे हज़रत पैग़म्बर (स०) के 'उम्मी' होने का प्रकरण भी इन्हीं विषयों में है। कुछ लोगों का ख़याल है कि 'उम्मी' का अर्थ निरा 'अनपढ़' है।

कुछ सज्जनों का कहना यह है कि आप 'मक्के' के रहने वाले थे जो 'उम्म-उल-कुरा' भी कहा जाता है। इसलिए आप का लक़ब 'उम्मी' हो गया।

जिन लोगों का ख़याल यह है कि, 'उम्मी' के मानी 'अनपढ़' के होते हैं, उनके इस्तिदलाल का सरमाया और उनकी तर्कना की पूँजी यह आयतें हैः-

1-''और उनमें कुछ ऐसे अनपढ़ हैं कि वह खुदा की किताब को अपने मतलब की बातों के सिवा कुछ नहीं समझते। वह फ़क़त ख़याली बातें किया करते हैं।''

दूसरा सूरा, अल-बक़रा,आयत 78

लेकिन इनके इस विचार का खन्डन इसी आयत के बाद वाली आयत से हो जाता है। जिसमें इरशाद हुआ है :-

''खेद है उन लोगों पर जो अपने हाथ से ग्रन्थ लिख लेते हैं फिर (लोगों से) कहते (फिरते) हैं कि यह ईश्वर के यहाँ से आया है। ताकि उसके माध्यम से थोड़ी सी क़ीमत (सांसारिक लाभ) कमायें खेद है उन पर कि उनके हाथों ने लिखा और फिर खेद है उन पर कि वह ऐसी कमाई करते हैं।''

2-''(भ्रष्ट व्यवहार) इस वजह से है कि उनका तो यह कहना है कि (अरब के) जाहिलों (का हक़ मार लेने) में हम पर कोई (दोषारोपण की) राह ही नहीं।''

सूरा-3, आले इमरानः आयत- 76

3-'' (हे पैग़म्बर !) आप 'किताब वालों' और जाहिलों से पूछिये कि क्या तुम भी इस्लाम लाये हो ?''

आले इमरान, आयत-20

4-''वही तो है जिसने जाहिलों में, उन्हीं में का एक पैग़म्बर भेजा''

4. सूरा, अल-जुमुआ आयत-2

अतः यह लोग कहते हैं कि तमाम मुफ़स्सिरों अर्थात् सभी कुर्आन के भाष्य कारों ने शब्द ''उम्मी'' का मतलब अनपढ़ लिया है।

''पस (लोगों) ख़ुदा और उसके रसूल उम्मी पैग़म्बर पर ईमान लाओ जो खुद भी (ख़ुदा और उसकी बातों पर) ईमान रखता है।''

इस आयत में नबी उम्मी के टुकड़े को **''वही तो है जिसने उम्मी लोगों में उन्हीं में का एक पैग़म्बर भेजा''** जोड़ते हुए ''उम्मी'' का अर्थ 'अनपढ़' ठहरा लेते हैं और फिर अनुवाद में बड़ी फराख़ दिली यानी विशाल हृदयता का सुबूत देते हुये 'उम्मी' का तर्जमा 'अनपढ़' लिख देते हैं। और अपनी ताईद और अनुमोदन के लिए-

29 वें सूरे अल अन कबूत की 48वीं आयत,

''और (हे पैग़म्बर !) कुर्आन से पहले न तो आप कोई ग्रन्थ पढ़ते ही थे और न अपने हाथ से लिखा ही करते थे।'' और इसी के साथ हदीसों का पूरा भण्डार पेश कर देते हैं जिसमें उनका दावा है कि कमज़ोर से कमज़ोर रवायत (अनुहार) नहीं है जिसमें हज़रत पैग़म्बर के पढ़ने लिखने का साक्ष्य मौजूद हो।

दूसरा पक्ष उन लोगों का है जो 'उम्मी' का अर्थ 'उम्म-उल-कुरा वाले' से निकालते हैं और 'उम्मी' के मानी 'मक्के वाला' बताते है। इस तरह यह लोग हज़रत पैग़म्बर के बे पढ़ा लिखा होने से सर्वथा इन्कार करते हैं।

यह विवाद कुछ ऐसा ध्यान देने के क़ाबिल न होता मगर कठिनाई यह है कि कुछ गुट इस विवाद में नेक नीयत नहीं दिखाई पड़ते। इसलिए थोड़ा विस्तार पूर्वक विचार आवश्यक हो गया है ताकि 'उम्मी' का अर्थ प्रकाश में आ सके और यह पता चल जाये कि लिखा पढ़ा होना अलावा चूंकि अवामी सतूह जन स्तर पर अनपढ़ होना

और जाहिल होना हम मानी यानी परस्पर पर्याय समझे जाते हैं। इसलिए इस से भी नाजायज़ (अवैध) फ़ायदा उठाने की सम्भावनाएं अधिक हैं। क्योंकि फिर दरमियानी वास्तों, बीच की कड़ियों से गुज़रने के बाद 'उम्मी' के मानी को 'जिहालत' 'अज्ञान' के मानी मेंलेके हज़रत की अवमानना भी सम्भव हैं।

लेकिन इस प्रसंग में सबसे पहली बात यह अच्छी तरह समझ लेने की हैं कि 'जाहिल' यानी 'अज्ञानी' होना इल्म और ज्ञान से शून्य होने का नाम है। ओर 'ज्ञान' मात्र लिखने पढ़ने की क्षमता पर निर्भर नहीं है वरना फिर वह सभी लोग आलिम या विद्वान कहे जाने के हक़दार हैं जो प्रारम्भिक कक्षाओं से ही पढ़ाई त्याग देते हैं। इनमें से बहुतेरों की लिखावट बहुत अच्छी होती है। और साधारण इबारत भी बड़ी रवानी से पढ़ लेते हैं परन्तु यह देखते हैं कि केवल पढ़ना लिखना सीख लेने से कोई उनको विद्वानों की सूची में सम्मिलित नहीं करता। जिसका सीधा और साफ़ मतलब यह हुआ कि 'पढ़ा लिखा' और विद्वान दोनों एक दूसरे से अनिवार्य रूप से सम्बद्ध नहीं हैं। प्रत्येक लिखे-पढ़े को विद्वान नहीं कहा जायेगा। जब यह बात मान ली गई तो बिल्कुल इसी तरह नतीजा यह निकला कि प्रत्येक बे पढ़ा लिखा जाहिल या अज्ञानी नहीं कहा जायेगा। हमारे सामने कितने ही ऐसे उदाहरण हैं कि मसायल-ए-इलमी अर्थात् शास्त्रीय प्रकरणों पर पर्याप्त अधिकार रखते हुये भी कुछ लोग बे पढ़े लिखे हैं। इस सिलसिले में तो शाएरों (कवियों) की बहुत बड़ी तादाद निकलेगी। सुना गया है कि नजफ़ (ईराक़) के शिक्षा क्षेत्र में ऐसे भी शिक्षार्थी थे जो विषयों पर अधिकार रखते थे परन्तु बे पढ़े लिखे थे। बाद में कुछ लोग पढ़ने की क्षमता पैदा कर लेते थे जो ''क़ारी लाकातिब'' अर्थात् पढ़ सकने वाला मगर न लिख सकने वाले कहे जाते थे। हमारे अपने देश में कविवर कालीदास इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।

इसलिए कौन कह सकता है कि प्रत्येक बे पढ़ा लिखा, जाहिल (अज्ञानी) होता है। अतः यह बात ज़ेहन नशीन (हृदयंगम) कर लेनी चाहिए कि किसी के बे पढ़े लिखे होने से उसकी जिहालत और अज्ञानता कदापि सिद्ध नहीं होती।

आइये अब इस विषय के दूसरे पक्ष का जायज़ा लें और वह यह है कि 'उम्मी' और 'उम्मीईन' के मानी क्या है ? इस सिलसिले में लुग़तों के हवाले यानी शब्द कोषों के सन्दर्भ ना काफ़ी और अपर्याप्त होंगे क्योंकि शब्द कोष तो अनेक विचारधाराओं के लोगों ने रचे हैं यानी इस्लाम विरोधी तत्वों अर्थात् इस्लाम दुश्मन अनासिर ने भी मुरत्तब किये हैं। और आज सबसे ज़ियादा मुस्तनद और मानक माना जाने वाला लुग़त (शब्द कोष) भी इस्लाम दुश्मन मरकज़, इस्लाम विरोधी केन्द्र से सम्बन्धित है। हाँ ! बात तफ़सीरों यानी क़ुर्आन मजीद के भाष्यों पर जाके रूकती है। जिन्होनें बड़ी फ़राख़ दिली (विशाल हृदयता) का परिचय दिया है ओर बेधड़क (उम्मीईन) के मानी जाहिलों के ठहरा लिये हैं)। हम मुफ़स्सिरों की इस ग़लती को क़ुरआने मजीद की इसी आयत से सिद्ध कर सकते हैं जिसमें उन्होंने 'उम्मीईन' के मानी 'जाहिलों' के लिये हैं।

वही सूरा अल बक़रा की 78वीं आयत-

''और उनमें कुछ ऐसे अनपढ़ हैं कि वह ख़ुदा की किताब को अपने मतलब की बातों के सिवा कुछ नहीं समझते। वह फ़क़त ख़याली बातें किया करते हैं।''

यहाँपर 'अनपढ़' अनुवाद करना इसलिए ग़लत है कि उनके यहाँ उम्मी लोगों की चर्चा ही नहीं है। यहाँ पर हर्फ़ 'इल्ला' का प्रयोग हुआ है। जिसके द्वारा अपवाद किया जाता हैं यानी यह लोग बस मतलब की बात पढ़ते हैं और यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि बराबर वाली आयत जो लिखने के बारे में है उसमें कहा जा रहा है कि, **''उन लोगों पर खेद है जो किताब अपने हाथों से लिख लेते हैं।''** इस आयत में शब्द 'वैल पर' 'फ़' अक्षर का होना इस बात का प्रमाण है कि दोनों आयतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसलिए अगर यहाँ 'उम्मी' का अर्थ 'अनपढ़' या 'जाहिल' लिया जायेगा तो तुरन्त परस्पर विरोध का सामना होगा कि वह अनपढ़ (जाहिल) भी हैं और किताब में अपने मतलब की बात भी पढ़ लेते हैं और अपने हाथ से लिख भी लेते हैं। और यह हास्यास्पद परिस्थिति होगी। अतः यह सिद्ध है कि यहाँ 'उम्मी' अनपढ़ और जाहिल के अर्थ में इस्तेमाल नहीं किया गया है।

अब हमको केवल 'उम्म-उल-क़ुरा' के प्रसंग से इस शब्द का प्रयोग देखना रह जाता है। चुनांचे इन

आयतों में यह मानी लेने से कोई परस्पर विरोध भी नहीं होता और मतलब भी ठीक बैठता है।

यानी तीसरे सूरे की बीसवीं आयत में थाह लगाने वालों ने मुक़ाबला अलंकार माना है यानी इल्म (ज्ञान) जेह्ल (अज्ञान) एक दूसरे के मुक़ाबिल हैं और इसलिए 'उम्मीईन' का तर्जमा 'जाहिल' कर दिया है। यद्यपि वास्तव में 'अह्लल-किताब' का अभिप्राय यहूदियों, ईसाईयों से हैं इनके मुक़ाबिल अरब हैं। इसलिए उनको 'उम्मुल कुरा' की रिआयत से 'उम्मी' कहा गया है।

अब रह गई अनपढ़ वाली बात, तो इस विषय में निवेदन यह है कि इस बात से इन्कार सम्भव नहीं कि हुज़ूर पैग़म्बर (स०) के लिखने पढ़ने को क़ुरआन में नकारा गया है। लेकिन मुझे अचरज है, तर्जमा करने वालों ओर तफ़सीर करने वालों पर यानी अनुवादकों एवं भाष्यकारों पर कि उन्होंने इस नकारने को परिशुद्ध और स्थाई नकारना कैसे मान लिया और इस आयत का मतलब यह केसे निकाला कि हुज़ूर पैग़म्बर (स०) अनपढ़ थे। आप ध्यान दें और फ़ैसला करें। इरशाद हो रह है कि-

"(हे पैग़म्बर !) क़ुरआन से पहले न आप कोई किताब ही पढ़ते थे और न अपने हाथ से लिखा करते थे।" **सूरा 29 अल-अनकबूत आयत-48।**

इस आयत में तो बस क़ुरआन के अवतरण से पहले आप के बारे में, न लिखने और न पढ़ने की चर्चा हैं इस ख़ुसूसी क़ैद विशेष प्रतिबन्ध का ख़ुद ही अर्थ है कि क़ुरआन उतरने के बाद आप देख कर पढ़ते भी थे और उसको अपने हाथ से लिखते भी थे। और इससे पहले ज़माने के बारे में जो नकारा गया है वह एक सीमित काल, महदूद ज़माने के बारे में है। यह आप की मन क़सत यानी आप की शान कम करना नहीं है बल्कि एक तरह की मन क़बत और प्रशंसा है।

इसके बाद यह बात स्पष्ट होने के लिए कि उम्मी के अर्थ को 'अज्ञान' से कोई सम्बन्ध नहीं है, क़ुरआन मज़ीद की बहुत सी आयतें मौजूद हैं।

"पैग़म्बर को बड़ी क़ूव्वत वाले ने ज्ञान दिया है।" सूरा-53 अन्नज्म आयत-4

कहीं फ़रमाया गया है कि-

"और जो बातें आप नहीं जानते थे, आप को सिखा दीं" सूरा4, अन्निसा आयत-113

इसके बाद हदीसे हैं। जिनमें सबसे मशहूर और विख्यात हदीस, "मैं इल्म का शहर और अली उसका दरवाज़ा हैं।" अब ज्ञान विज्ञान का संसार आप के ज्ञान और विद्वता को जिस स्तर का भी माने हज़रत पैग़म्बर (स०) का स्थान हज़ार गुना उससे ऊँचा ही रहेगा क्योंकि जो अनुपात नगर और द्वार में होता है वही आप दोनों में है। इसकी दलील और प्रमाण हज़रत अली (अ०) की वह हदीस है जिसमें आपने फ़रमाया है कि, **"पैग़म्बर (स०) ने मुझे हज़ार अध्याय सिखाये।"**

अब आइये इस विषय को देखें कि आप लिखना जानते थे कि नहीं। तो आप के पत्र लिखने की बात अगर सिद्ध न भी मानी जाये तो कम से कम यह बात तो सर्वमान्य है, सब को तसलीम है कि,- 'हुदैबीया' के सुल्हनामे यानी सन्धि पत्र में रसूल-उल-लाह (ख़ुदा के पैग़म्बर) के शब्दों पर आपत्ति की गई तो आप ने हज़रत अली (अ०) को यह शब्द काट देने का हुक्म दिया। हज़रत ने इस सत्य को नकारने से अपनी असमर्थता प्रकट की तो अन्ततोगत्वा हुज़ूर (स०) ने ख़ुद अपने हाथ से यह शब्द काट दिये थे। यह बात तो तभी सम्भव है जब किसी को पढ़ना लिखना आता हो।

बहरहाल जो लोग हुज़ूर टस०) को अवमानना की राह से 'उम्मी' या अनपढ़ कहना चाहते हैं उनकी सेवा में बस इतना ही निवेदन करना है कि अगर हम हुज़ूर (स०) को केवल भौतिक दृष्टिकोण से देखें तो भी दुनिया के पास गुणगान की कोई हद बाक़ी नहीं रह जाती। क्योंकि जिस इन्सानी ज़ाबित-ए-ज़िन्दगी यानी मानवीय जीवन संहिता को सकल संसार के बुद्धिजीवी हज़ारों बरस की निरन्तर कोशिशों के बाद सामूहिक रूप में प्रस्तुत न कर सके। इन्सानी बेहबूदी मानव कल्याण के इस जामेअ तरीन क़ानून सर्वागीण विधि को एक तथाकथित बे लिखी पढ़ी हस्ती ने महज़ चन्द दिन की ज़िन्दगी में पेश कर दिया। न जाने कितने 'वाद' सामने आये और अपनी असफलता का मरसिया पढ़ रहे हैं।

बहरहाल इस संक्षिप्त लेख, मुख़्तसर मज़मून से यह बात तो सामने आ ही गई कि 'उम्मी ' के मानी 'जाहिल' और 'अनपढ़' हरगिज़ नहीं लिये जा सकते।

